

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 06/2021

महाप्रबंधक(का०) हाजीपुर का पत्र संख्या-ECR/HRD/Rectt./Scout & Guide Quota/2016-17 दिनांक-04.01.2018 के संदर्भ में एवं इस कार्यालय के भर्ती अनुभाग का टि० सं०-का/227/Rectt/Scout & Guide/SEE/18 दिनांक-23.12.2020 के आलोक में स्काउट एवं गाइड के आधार पर विद्युत विभाग में टेक०-111/विद्युत(पावर) वेतनमान-5200-20200, जी.पी-1900, लेवल-02 के पद पर नियुक्ति हेतु मर्रेप्र/सोनपुर का अनुमोदनो उपरांत को टेक०-111 हेतु निर्धारित तीन वर्ष प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित, श्री जीतू लाल तांती, पिता- (श्री सुशील तांती) को नियमित नियुक्ति पर टेक०-111/विद्युत(पावर), वेतनमान-5200-20200, जी.पी-1900, लेवल-02 में सीसेई/विद्युत(पावर)मानसी के अधिन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी का विवरण निम्न है-

कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	मेडिकल श्रेणी	आवंटित पद/लेवल	वर्तमान पदस्थापना स्टेशन
श्री जीतू लाल तांती	श्री सुशील तांती	A1 & Below	टेक०-111 पावर/विद्युत(सा०) लेवल-02	अधिनस्थ सीसेई/विद्युत(पावर) मानसी

उपयुक्त अभ्यार्थी ग्रुप सी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे एवं आवश्यकतानुसार इन्हें रेलवे के प्रादेशिक सेना ईकाइ में सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना पुलिस द्वारा चरित्रिक जांच पर निर्भर करेगा। इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी।

रेल परिषद के पत्रांक-एन/ई/111/2003/पी०एफ०/०१/२४ दिनांक-31.12.2003 के अनुसार दिनांक-01.01.2004 से नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे, एवं कर्मचारी को निचे दिये गये निदेशों का पालन करना आवश्यक होगा।

1. He shall have to serve the Railway at least 05(Five) years. In case he fails to serve the Administration for Prescribed period, Pay+ Allowance (Except TA)+ 12.5% interest will have to be refunded.
2. He shall remain on probation for a period of initial two years.
3. His request shall not be considered for transfer to any other. Railway/Division before complete of 05(Five) Years' service.
4. In addition to above, He shall be governed with the all others rules and regulations stipulated for Railway employees from time to time.
5. He will be governed by New Pension Scheme.
6. He shall be terminated form the service, if the information and/or documents furnished by him for said recruitment are found incorrect/Face, at any stage.

शेष आगले पृष्ठ पर